फर्द अहकाम 2024/96

27/3/24
8/5/24

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर ग्रामीण

केस संख्या :- 12/2024

सरकार बनाम घनश्याम

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30.01.2024	प्रार्थना पत्र 177 का पैरोकार सरकार ने पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावें। पैरोकार सरकार उपस्थित है व प्रार्थना पत्र 177 के साथ प्रार्थना पत्र उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पैरोकार सरकार को सुना व प्रार्थना पत्र 212 का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार के अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जावेगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। पैरोकार सरकार का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द एवं हस्तांतरित करने व नवनिर्माण करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए आगामी आदेश तक अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रूप से इस आशय की जारी की जाती है। कि अप्रार्थीगण ग्राम यारलीपुराउर्फसदाशिवपुरा के आराजी खसरा नंबर 1172/1 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम यारलीपुराउर्फसदाशिवपुरा पटवार हल्का बरखेडा तहसील चाकसू का **मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।** उक्त स्थगन राजकीय विभागों के कार्य/न्यायालय आदेश/न्यायालय आदेश द्वारा रास्तों के अमल दरामद/राको रोडा के तहत बैंक कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। अप्रार्थीयों की नोटिस की तामील की सामान्य एवं साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेजात व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना करे तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। प्रकरण की स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय विवेवाकाधीन शक्तियों के तहत यह अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम (3) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर संभव यत्न करें अन्यथा अतरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अतः अप्रार्थीगण की तलवी जारी कर पत्रावली वास्ते तामील हेतु दिनाक 29.02.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू(जयपुर)	नोटिस जारी 557 31/1/24 18/5/24
	29/2/24	[illegible handwritten notes] ... 2/3/2024 को पेश हो	